शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 32 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 4 – 11 अगस्त 2025 मूल्य पांच रूपये

हिमाचल में संगठन का पुनर्गठन हाईकमान के लिए भी चुनौती होगा

➢ सुक्खू और प्रतिभा के अलग – अलग स्टैंड बने दुविधा

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस का पुनर्गठन अभी तक नहीं हो पाया है। यहां तक कांग्रेस हाईकमान के साथ भी इस संबंध में प्रदेश नेताओं की बैठक हो चुकी है। पिछली बैठक में हाईकमान ने प्रदेश के मंत्रियों से अलग मंत्रणा की थी और तब यह लगा था कि एक – दो दिन में घोषणा हो जायेगी। परन्तु ऐसा हो नहीं सका। क्योंकि प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने शिमला में पत्रकारों से बात करते हुये स्पष्ट कहा कि वीरभद्र लीगेसी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगला अध्यक्ष अनुसूचित जाति से होना चाहिये। साथ ही यह भी कहा कि अगला अध्यक्ष कोई मंत्री हो सकता है। प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि अभी अगले गठन पर प्रदेश के नेताओं में ही कोई सहमति नहीं हो पायी है।

प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने अढ़ाई वर्ष हो गये हैं। प्रदेश संगठन में पिछले वर्ष नवम्बर से सारी कार्यकारणीयां भंग हैं। यदि सरकार और संगठन में अब तक के कार्यकाल की समीक्षा की जाये तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में अब तक तालमेल का अभाव रहा है और यह अभाव खुलकर जगजाहिर भी हो चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार में यह यथोचित समायोजन की मांग उठी और हाईकमान तक भी पहुंची लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इसी तालमेल के अभाव का परिणाम था की छः विधायकों ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। कांग्रेस प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सभी कुछ हार गयी लेकिन हाईकमान ने इस हार का कोई गंभीर संज्ञान नहीं लिया। हाईकमान इसी में खुश रही की दल बदल के प्रयासों के बावजूद भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बच गयी। आपसी तालमेल का अभाव उस समय भी जगजाहिर हो गया था जब धर्माणी और गोमा को मंत्री बनने के बाद उन्हें विभागों के आवंटन में जरूरत से ज्यादा समय लगा दिया गया। यह स्थिति व्यवहारिक रूप से अब तक बनी हुई है और इसी के कारण सरकार पर अफसरशाही के हावी होने की शिकायतें हाईकमान तक भी जा पहुंची है।

इसी वर्ष के अन्त में पंचायत और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। यह चुनाव सरकार के कामकाज की परीक्षा होंगे। कांग्रेस विधानसभा चुनावों में दस गारंटियां जनता को देकर सत्ता में आई थी। अब यह गारंटियां कितनी पूरी हुई हैं इसका हिसाब हर वोटर मांगेगा और हर कांग्रेस कार्यकर्त्ता को इसका जवाब देना होगा। इस दौरान वित्तीय संकट के आवरण में जनता पर कितना कर्जभार लाद दिया गया और उसके अनुपात में आम आदमी के संसाधन कितने बढ़े हैं इसका भी व्यवहारिक लेखा – जोखा इन चुनावों में रखना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा सवाल होगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या संदेश लेकर जनता के बीच जायेगा। सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने की बात की है। परन्तु यह आरक्षण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती है। इसलिये यह बहुत संभव है कि विधानसभा के इस सत्र में यह प्रस्ताव आये कि स्थानीय निकायों के चुनाव दो वर्षो के लिये टाल दिये जायें। यह चुनाव टलने से इन निकायों में तो हार से बच जाएंगे परन्तु पंचायत के चुनाव में क्या होगा यह एक बड़ा सवाल रहेगा। इन्हीं चुनावों के कारण इस समय संगठन के पुनर्गठन को और टालना संभव नहीं होगा। हिमाचल में संगठन का पुनर्गठन प्रदेश नेतृत्व के साथ हाई कमान के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है।

फर्जी वोटर लिस्ट का सच उजागर होने से बौखलाई केन्द्र सरकार:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल।उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट और चुनावी गड़बड़ियों के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा निकाले गए शांतिपूर्ण मार्च को पुलिस द्वारा रोका गया और उन्हें अन्य साथियों सहित हिरासत में ले लिया गया। यह लोकतंत्र के लिए काला दिन है।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने आज देश के सामने कई खामियों को उजागर किया है, जिनमें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और कई व्यक्तियों के नाम गलत तरीके से दर्ज किए जाने जैसी बातें शामिल हैं। इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है, किन्तु केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की आवाज को इस तरह दबाने की कोशिश न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि यह दर्शाता है कि सरकार सच से डर रही है। सच की लड़ाई को कोई ताकत नहीं रोक सकती और न ही भारत की आवाज को खामोश किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेंगे और देश की जनता को इन सच्चाइयों से अवगत करवाते रहेंगे। फर्जी वोटर लिस्ट, सत्ता का दुरुपयोग और विपक्ष की आवाज दबाना यह सभी इस बात के प्रमाण हैं कि केंद्र सरकार पारदर्शिता से भाग रही है।

राज्यपाल ने आपदा मुक्त हिमाचल के लिए हवन यज्ञ किया

शिमला/शैल। सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में पवित्र हवन यज्ञ किया और राज्य की शांति, सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की प्रार्थना की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हाल ही में आई आपदाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की कामना करते हुए

विशेष आहुतियां अर्पित की गई।

लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला के साथ-साथ राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस अवसर पर भक्ति और श्रद्धा के साथ अनुष्ठान में भाग लिया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि हम हिमाचलवासी अपनी आस्था से गहराई से जुड़े हुए हैं और हमारा दृढ़विश्वास है कि इस तरह के आध्यात्मिक प्रयास देवभूमि हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि हवन के माध्यम से इन आपदाओं में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई।

हवन यज्ञ के बाद, मैत्री संस्था की सदस्यों और राज्य रेडक्रॉस की महिलाओं ने राज्यपाल की कलाई पर राखी बांधी और उनकी दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि रक्षा सूत्र का कोमल धागा न केवल कलाई को बांधता है, बल्कि हृदय और आत्मा को भी जोड़ता है।

हिमालय की रक्षा वैश्विक जिम्मेदारी:केवल सिंह पठानिया

शिमला/शैल। उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने

अमेरिका के बोस्टन में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स (एनसीएसएल) शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के भविष्य को नया आकार देने की दिशा में कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित, समावेशी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने वाले प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल सरकार का मत है कि पर्यटन न केवल आमदनी का जरिया है, बल्कि यह समाज और प्रकृति दोनों की सेवा का माध्यम भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्मशाला को पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में रामसर वेटलैंड (पोंग डैम) में जल क्रीड़ा गतिविधियां, धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं में ट्रैकिंग, धर्मशाला के करेरी झील और रावी नदी पर चमेरा जलाशय में तलेरू में जलक्रिड़ा गतिविधियां विकसित करने की योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा गोविंद सागर झील में 'शिकारा' नाव चलाना और कयाकिंग जैसे जलक्रिड़ाएं आरम्भ की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास करने की योजना पर कार्य कर रही है। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रज्जुमार्गो के निर्माण तथा फोरलेन सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ों की कटाई किए बिना सुरंगों के निर्माण पर बल दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हिमालयी ग्लेशियर हर वर्ष पिघलकर 15-20 मीटर पीछे खिसक रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इस क्षेत्र में बादल फटने, अचानक बाढ़ और जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे जैव विविधता को खतरा बढ़ा है। ईको टूरिज्म को बढ़ावा देना ही इन चुनौतियों से निपटने का प्रभावी उपाय है, जिससे न केवल राजस्व अर्जित होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।

केवल सिंह पठानिया ने राज्य 'ग्रीन हिमाचल' की परिकल्पना को साकार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है और सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक ई-वाहनों को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली पूर्णत: पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है, जो डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि हिमालय में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से एशिया की 1.9 अरब जनसंख्या प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। इसलिए हिमालय की सुरक्षा वैश्विक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल में आधुनिक चिकित्सा सेवाओं में किए जा रहे सुधारों की जानकारी भी साझा की और कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाएं शहरी व ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने वैश्विक शोधकर्ताओं, निवेशकों और तकनीकी विशेषज्ञों से हिमाचल के सतत् विकास और प्राकृतिक संरक्षण के संयुक्त मॉडल की परिकल्पना को साकार करने में भागीदार बनने का आहवान किया। विधायक संजय अवस्थी, विनोद सुल्तानपुरी और दीप राज भी चर्चा में शामिल हुए।

दवा इकाइयों की सख्त निगरानी के लिए एसडीएम के नेतृत्व में की जा रही समिति गठित

शिमला/शैल। नशीले पदार्थो के बढ़ते दुरुपयोग को रोकने और दवा कंपनियों से मादक पदार्थों के दूसरे स्रोतों में जाने को रोकने के लिए, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सख्त निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कड़े कदम उठाए हैं।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि मादक पदार्थों के निरूपण का कारोबार करने वाली लाइसेंस प्राप्त दवा कंपनियों के संचालन की निगरानी के लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति में आबकारी विभाग, पुलिस और औषधि नियंत्रण प्राधिकरण के अधिकारी शामिल होंगे और इसे नियामक मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने का काम सौंपा जाएगा।

ट्रेसेबिलिटी को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने जीएसटी परिषद से औपचारिक रूप से संपर्क किया है और विशेष रूप से मादक दवाओं और मनोप्रभावी पदार्थों के लिए एक समर्पित ई-वे बिल व्यवस्था शुरू करने की मांग की है। इस कदम से आपूर्ति श्रृंखला में उनकी आवाजाही के वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो सकेगी, जिससे हर स्तर पर नियंत्रण कड़ा होगा। इसके अलावा, राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग ने लाइसेंस धारकों द्वारा मादक दवाओं के संचालन पर मात्रा संबंधी प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस उपाय का उद्देश्य अतिरिक्त स्टॉक के अवैध उपयोग के जोखिम को कम करना है।

प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार वर्तमान में मादक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) नियम, 1989 में संशोधन कर रही है और एकीकृत मादक द्रव्य निवारण नीति को अद्यतन कर रही है। इसका उद्देश्य राज्य में मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए समग्र कानूनी और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करना है। जमीनी स्तर पर प्रवर्तन और जन जागरूकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, सरकार ने संबंधित जिला अधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का भी गठन किया है। ये समितियां कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगी, अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाएंगी और विशेष रूप से युवाओं को लक्षित करते हुए जागरूकता अभियान चलाएंगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ कानूनों, नियमों और कानूनों की नहीं है, बल्कि जिंदगी बचाने और हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा की है। मेरी सरकार निर्णायक और बिना किसी समझौते के काम करेगी। राज्य की जनता के सहयोग से हम सब मिलकर नशे की गिरफ्त से मुक्त हिमाचल का निर्माण करेंगे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने रक्षा बंधन की बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रक्षा बन्धन के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि रक्षा बन्धन का त्योहार समाज में आपसी भाई-चारे को बढ़ाने के साथ-साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह पर्व भाई-बहन के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि रक्षा बन्धन का त्योहार सद्भाव और स्नेह को पोषित करता है। उन्होंने कामना की कि राखी का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आये।

पुलिस की त्वरित कारवाई से बीसीएस स्कूल के तीन लापता छात्र सुरक्षित बरामद:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने कोटखाई से बीसीएस स्कूल के तीन लापता छात्रों को बेहद कम समय में सफलतापूर्वक ढूंढ निकाला है। उन्होंने त्वरित कारवाई के लिए शिमला पुलिस को बधाई दी और एसपी संजीव गांधी व उनकी टीम की सराहना की, जिन्होंने कई खोजी टीमें तैनात कर हर संभव प्रायस कर बच्चों के पास मोबाइल फोन न होने जैसी चुनौतियों को भी पार किया।

उन्होंने कहा कि त्वरित और समन्वित अभियान ने न केवल बच्चों को सुरक्षित वापस लाने में सफलता हासिल की, बल्कि उनके चिंतित परिवारों को भी बड़ी राहत दी। उन्होंने स्थानीय निवासियों के सहयोग की भी प्रशंसा की और कहा कि यह अभियान हिमाचल प्रदेश पुलिस के पेशेवर दृष्टिकोण, दक्षता और नागरिकों, विशेषकर बच्चों, की सुरक्षा के प्रति उनकी गहरी जिम्मेदारी को दर्शाता है।

कुलदीप कुमार धीमान ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से चर्चा की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना से भेंट की।

इस अवसर पर कुलदीप कुमार धीमान ने उन्हें राज्य अनुसूचित जाति आयोग की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाते हुए कहा कि राज्य में प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के संवेदनशील वर्गो, महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को गरिमामयी जीवन, सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित कर रही है।

कुलदीप कुमार धीमान ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष से विभिन्न विषयों पर चर्चा की और उन्हें हिमाचल में बैठक के लिए आमंत्रित किया।

नाहन, नालागढ़, मोहाल और रोहडू में स्थापित होंगे नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने नाहन, नालागढ़, मोहाल एवं रोहडू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र, जिला हमीरपुर के जलाड़ी में दूध शीतलन केंद्र और जिला ऊना के झलेड़ा में बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के दूध एवं दूध प्रसंस्करण संबंधी अधोसंरचना का आधुनिकीकरण करना है। प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है जो कृषि एवं पशुपालन पर पूर्णत: या आंशिक रूप से निर्भर है और पशुपालन क्षेत्र का विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए संयंत्रों के स्थापित होने से दूध खरीद में वृद्धि होगी और पशुपालकों को दूध पर उचित दाम मिलेंगे। इसके साथ ही दूध खरीद के गुणवत्ता मानकों में भी वृद्धि होगी।

अपने कार्यो में दक्षता लाने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश मिल्क फैडरेशन (मिल्कफैड) शीघ्र एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली की शुरुआत करेगी। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान आवश्यक जानकारी को सीधे अपने मोबाइल फोन पर देख सकेंगे, जिसमें दूध खरीद की रियल टाइम अपडेट, पैमेंट स्टेटस, गुणवत्ता जांच के रिजल्ट व खरीद मूल्य शामिल हैं। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली के तहत सभी लेनदेन डिजिटल होंगे जिससे मानव त्रुटियों की संभावनाएं कम होंगी। पशुपालकों को दूध विक्रय और प्राप्त दाम की सूचना उनके मोबाइल पर वास्तविक समय में प्राप्त होगी। डिजिटल माध्यम से दूध खरीद का डाटा उपलब्ध होने से बिल तैयार करने में तेज़ी आएगी, जिससे पशुपालकों के बैंक खातों में पैसों का प्रत्यक्ष हस्तांतरण भी सुलभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप मिल्कफैड द्वारा दूध खरीद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है तथा दूध एकत्रीकरण की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

जिला कांगड़ा के ढगवार में अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसके संचालन के पश्चात इस संयंत्र में दही, लस्सी, बटर, घी, पनीर, फ्लेवर्ड दूध, खोया और मॉज़रेला चीज़ का उत्पादन होगा। इससे पशुपालकों और डेयरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनके उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन क्षेत्र और डेयरी संबंधी अधोसंरचनाओं में सतत् निवेश के माध्यम से ग्रामीण लोगों की आजीविका के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश दूध खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। ऐसे पशुपालक एवं समितियां जो कि अधिसूचित क्रय केंद्रों तक दूध पहुंचाने के लिए दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हैं उन्हें प्रदेश सरकार दो रुपये प्रतिलीटर की दर से परिवहन अनुदान प्रदान कर रही है।

एआईएमएसएस चमियाना रोबोटिक सर्जरी करने वाला राज्य का पहला संस्थान बना

शिमला/शैल। अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना राज्य का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है

जहां रोबोटिक सर्जरी द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है। शिमला जिला के खलीनी क्षेत्र निवासी का राज्य में पहली रोबोटिक सर्जरी की गई। वह प्रोस्टेट संबंधी बीमारी से पीड़ित थे।

डॉ. अनंत कुमार, डॉ. पम्पोश रैना और डॉ.पवन कौंडल की टीम ने सफलतापूर्वक पहली रोबोटिक सर्जरी की। चिकित्सकों के अनुसार यह प्रक्रिया लगभग तीन घंटे तक चली, जबकि सामान्य सर्जरी में इसमें कम से कम पांच घंटे लगते हैं। ऑपरेशन के दौरान मरीज को रक्त की आवश्यकता नहीं पड़ी जबकि पारंपरिक प्रक्रिया में आम तौर पर चार यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। चिकित्सकों के अनुसार मरीज को ऑपरेशन के पश्चात 3 से 4 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है जबकि पारम्परिक ऑपरेशन में 8 से 10 दिन लगते हैं। मुख्यमंत्री ने सफलतापूर्वक रोबोटिक सर्जरी करने वाली टीम को बधाई दी।

मरीज के सहायक ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस सुविधा के आरम्भ होने से मरीजों को उच्च-स्तरीय उपचार के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

यूरोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉ.कैलाश भरवाल ने कहा कि यह राज्य के चिकित्सा इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है क्योंकि आज एआईएमएसएस चमियाना रोबोटिक सर्जरी करने वाला पहला संस्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी चिकित्सकों को सटीकता के साथ ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है और सर्जरी के दौरान रक्त की हानि न्यूनतम होती है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के बाद मरीज शीघ्र ही सामान्य दिनचर्या में लौट सकता है क्योंकि इससे मरीज को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिलती है।

रोबोटिक सर्जरी में अत्याधुनिक रोबोटिक आर्म्स का उपयोग किया जाता है जिसमें हाथों की तुलना में कंपन लगभग समाप्त हो जाता है, इससे सर्जन अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर गति से आपरेशन कर पाते हैं। यह नसों और रक्त वाहिकाओं जैसी नाजुक संरचनाओं के पास काम करते समय सटीकता को बढ़ाने में भी मदद करता है। अधिकतर रोबोटिक सर्जरी में पारंपरिक सर्जरी की तुलना में छोटे चीरे लगाए जाते हैं, जिससे आमतौर पर कम निशान और बेहतर परिणाम सामने आते हैं।

परिवहन विभाग ने डेढ़ साल में कमाये 123 6.53 करोड़ रुपये:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने बीते डेढ़ वर्षों के भीतर राजस्व अर्जन के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 912.18 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों, अप्रैल से जुलाई में 324.35 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। विभाग ने रिकॉर्ड 16 महीनों की अवधि में कुल 1236.53 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह विभाग की पारदर्शी, सुधारात्मक और दक्ष कार्य प्रणाली का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के नीतिगत फैसलों से इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की भूमिका केवल वाहनों के संचालत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक धारा को गति देने वाला एक प्रमुख स्तंभ है। विभागीय पारदर्शिता, कर संग्रहण की तकनीकी प्रणाली में सुधार, और जन-सुविधाओं के डिजिटलीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परमिट, लाइसेंस और पेनल्टी के माध्यम से 160.28 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत टोकन टैक्स, कंपोजिट फीस, स्पेशल रजिस्ट्रेशन शुल्क, एसआरटी और ग्रीन टैक्स के माध्यम से 712.82 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई। इसके अतिरिक्त अन्य शुल्कों और ग्रीन टैक्स इत्यादि से 39.08 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए।

इस वित्त वर्ष के चार महीनों में ही 324.35 करोड़ रुपये की आय दर्ज की गई है, जिसमें आईएमवी एक्ट के अंतर्गत 63.09 करोड़ रुपये, राज्य मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 250.01 करोड़ रुपये और अन्य स्रोतों से 11.25 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस वित्त वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 1000 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच सकता है।

उन्होंने बताया कि विभागीय ढांचे में तकनीकी सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। वाहन पंजीकरण, परमिट, टैक्स और निरीक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे कर चोरी की संभावनाएं कम हुई हैं और नागरिकों को घर-द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। उप-मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल विभागीय दक्षता का प्रमाण है, बल्कि यह प्रदेश की वित्तीय मजबूती की ओर एक बड़ा कदम भी है।

पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का 20वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित

शिमला/शैल। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का 20वां स्थापना दिवस सायरी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं सैनिक कल्याण मंत्री, कर्नल डॉ. धनी राम शांडिल ने की। उन्होंने

एसोसिएशन द्वारा पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों के हित में किए जा रहे निरंतर प्रयासों की सराहना की।

इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वी.के. शर्मा, पूर्व डीआईजीपी एवं अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य पूर्व अर्धसैनिक कल्याण एसोसिएशन ने पेंशनर्स की समाज में मार्गदर्शक भूमिका और उनके अनुभव के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष अतिथि के.डी. शर्मा, अध्यक्ष, सोलन जिला पेंशनर्स एसोसिएशन ने सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दीं और पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा हेतु एकजुट रहने का आहवान किया।

इस अवसर पर वी.के.शर्मा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और संगठन के हित में समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होने लोगों को नशीली दवाओं के खतरे के प्रति आगाह किया। युवाओं में नशीले पदार्थो के सेवन की बढ़ती प्रवृत्ति समाज की भलाई के लिए गंभीर खतरा है। नशे की लत के शिकार युवा अक्सर इसकी पूर्ति के लिए अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्या और पारिवारिक रिश्तों में टूटन आती है। समाज को मूल्यवान मानव संसाधन की हानि, स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता बोझ और नैतिक मूल्यों के ह्रास का सामना करना पड़ता है।

उन्होने कहा कि नशे की रोकथाम के लिये परिवार, शैक्षणिक संस्थान, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और समाज सभी को मिलकर युवाओं को इस विनाशकारी रास्ते से बचाने के लिए एकजुट प्रयास करने होंगे। इस समारोह में 300 से अधिक पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया।

तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति पाठयक्रम एक सीट आरक्षित

शिमला/शैल। सामाजिक समावेश की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के सभी सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक पाठयक्रम में एक-एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों और फार्मेसी संस्थानों पर लागू होगा।

इस पहल का उद्देश्य समाज के सबसे संवेदनशील वर्गो में शामिल अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। सरकार का प्रयास है कि संरचनात्मक और वित्तीय बाधाओं को दूर करके इन बच्चों को अपने उज्ज्वल भविष्य के सपने को साकार करने का एक सम्मानजनक अवसर प्रदान किया जाए।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस नई पहल के अंतर्गत प्रवेश पूरी तरह मेरिट के आधार पर होंगे और पात्रता की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह प्रावधान कुल स्वीकृत सीटों की संख्या बढ़ाए बिना और संस्थानों पर किसी अतिरिक्त ढांचागत या वित्तीय बोझ डाले बिना लागू किया जाएगा। इसी प्रकार गुणवत्ता से समझौता किए बिना, इसका उद्देश्य मौजूदा संसाधनों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार की यह पहल समाज के वंचित वर्गो को सशक्त बनाने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप सभी कल्याणकारी प्रयासों को सशक्त बनाती है। अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत, जिसमें अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया गया है, को पुष्ट करती है। इस योजना के तहत सरकार उनके समग्र पालन-पोषण और शिक्षा सहित 27 वर्ष की आयु तक उनकी देख-रेख कल्याण की जिम्मेदारी लेती है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने इस विषय में कानून बनाकर अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं ताकि वे गरिमामयी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें।

अवैध खनन पर अंकुश लगाने के संचालित किये जा रहे विशेष अभियान

शिमला/शैल। राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिए उद्योग विभाग के भौमिकीय शाखा (जियोलॉजिकल विंग) ने निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया को और मजबूत किया है। विभाग के कर्मचारी समय-समय पर पुलिस के सहयोग से अवैध खनन की गतिविधियों की निगरानी करते हैं।

निदेशक उद्योग डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध खनन की संभावना और आशंका वाले क्षेत्रों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।

विभाग ने पिछले कुछ समय से अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान संचालित किए हैं। समय-समय पर रणनीतिक रूप से संचालित किए गए अभियानों का प्रभाव ज़मीनी स्तर पर स्पष्ट नजर आ रहा है। इन अभियानों के दौरान कई अवैध खनन के मामले संज्ञान में आये हैं और सभी मामलों में भारी जुर्माना वसूला गया और कई मामलों को स्थानीय अदालतों में प्रस्तुत किया गया है।

डॉ.यूनुस ने कहा कि अवैध खनन की गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी। इन अभियानों से जनता का विश्वास विभाग पर और अधिक बढ़ा है और अब लोग सक्रिय रूप से अवैध खनन की जानकारी दे रहे हैं।

निदेशक उद्योग ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित किये जाने वाले विशेष अभियान जनता का विश्वास जीतने में सहायक साबित हुए हैं और अब भ्राता सदन, कसुम्पटी स्थित भौमकीय शाखा (जियोलॉजिकल विंग) कार्यालय में एक शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस केंद्र में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक समर्पित लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप संपर्क और ईमेल सहायता की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे आसानी से अपनी समस्याएं दर्ज करवा सकें।

उन्होंने बताया की अब तक व्हाट्सएप, ईमेल और लैंडलाइन सहित विभिन्न माध्यमों से 350 से अधिक शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभाग ने अवैध खनन से अब तक प्रभावित और संभावित संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जिन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां त्वरित कारवाई की गई है, जिससे विभागों को प्राप्त शिकायतों की भूमिका निर्णायक हो गयी है। हर शिकायत पर तत्काल संज्ञान लिया जा रहा है, जो विभाग की जवाबदेह, पारदर्शी, संवेदनशील कार्यप्रणाली को प्रमाणित करता है।

उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग राज्य की प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इको टास्क फोर्स ने प्रदेश में रोपे 65 लाख पौधे आपदा प्रबंधन में भी निभा रही अहम भूमिका

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार द्वारा पर्यावरण सरंक्षण के लिए गठित इको टास्क फोर्स न केवल पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दे रही है अपितु प्रदेश में आपदा प्रबंधन के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यो में भी अहम भूमिका निभा रही है।

133 इको टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार ने बताया कि 8 अगस्त 2025 की शाम करीब 4 बजे से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हुए भू-स्खलन के कारण मनाली पंडोह राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ओर से अवरुद्ध होने से काफी संख्या में यात्री यहां फंस गए। 133 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स की ब्रेवो कम्पनी जलोगी ने हनोगी और थलोट के बीच फंसे हुए यात्रियों को आर्मी कैंप में ठहराया और खानपान सहित रात में उनकी ठहरने की व्यवस्था भी की। इन यात्रियों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें सड़क मार्ग खुलते ही अपने गंतव्य के लिए भेज दिया गया।

इसके अतिरिक्त, 133 इकोलॉजिकल टास्क फोर्स ने प्रदेश में 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में 65 लाख से अधिक पौधरोपण किया है। टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके द्वारा शिमला, मंडी, करसोग, नाचन, कुल्लू, सैंज सहित अन्य कई क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुसार पौधरोपण किया जाता है। टास्क फोर्स का प्रदेश में पूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान है।

जब तक सत्ता सभी के बीच साझा नही होगी, तब तक लोकतन्त्र असंभव है, लेकिन लोकतन्त्र को भीड़ तन्त्र में परिवर्तित नही होने देना चाहिये।
.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

चुनाव प्रक्रिया पर बहस जरूरी

इस समय देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें यह सवाल हर रोज बड़ा होता जा रहा है की आंखिर ऐसा हो क्यों रहा है? यह सब कब तक चलता रहेगा? इससे बाहर निकलने का पहला कदम क्या हो सकता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद का चयन लोगों के वोट से होता है। इसके लिए हर पांच वर्ष बाद पंचायत से लेकर संसद तक सभी चुनाव की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सांसदों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक सब को मानदेय दिया जा रहा है। हर सरकार के कार्यकाल में इस मानदेय में बढ़ौतरी हो रही है। लेकिन क्या जिस अनुपात में यह बढ़ौतरी होती है उसी अनुपात में आम आदमी के संसाधन भी बढ़ते हैं शायद नहीं। इन लोक सेवकों का यह मानदेय हर बार इसलिये बढ़ाया जाता है कि जिस चुनावी प्रक्रिया को पार करके यह लोग लोकसेवा तक पहुंचते हैं वह लगातार महंगी होती जा रही है। क्योंकि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावों पर किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा ही तय नहीं है। आज जब चुनावी चंदे के लिये चुनावी बॉण्डस का प्रावधान कर दिया गया है तब से सारी चुनावी प्रक्रिया कुछ लखपतियों के हाथ का खिलौना बन कर रह गयी है। इसी कारण से आज हर राजनीतिक दल से चुनावी टिकट पाने के लिये करोड़पति होना और साथ में कुछ आपराधिक मामलों का तगमा होना आवश्यक हो गया है। इसलिये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन अभी तक भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा भी जुमला बनकर रह गया है कि संसद और विधानसभाओं को अपराधियों से मुक्त करवाउंगा।

पिछले लंबे अरसे से हर चुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। इन सवालों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को शुन्य बनाकर रख दिया है। ईवीएम की निष्पक्षता पर सबसे पहले भाजपा नेता डॉ. स्वामी ने एक याचिका के माध्यम से सवाल उठाये थे और तब वीवीपैट इसके साथ जोड़ी गयी थी। इस तरह चुनावी प्रक्रिया से लेकर ईवीएम तक सब की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। जिन देशों ने ईवीएम के माध्यम से चुनाव करवाने की पहल की थी वह सब इस पर उठते सवालों के चलते इसे बंद कर चुके हैं। इस परिदृश्य में यह आवश्यक हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया पर आम आदमी का विश्वास बहाल करने के लिए ईवीएम का उपयोग बंद करके बैलट पेपर के माध्यम से ही चुनाव करवाने पर आना होगा। फिर विश्व भर में अधिकांश में ईवीएम की जगह मत पत्रों के माध्यम से चुनाव की व्यवस्था कर दी गयी है। इसलिए आज देश की जनता को सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों पर यह दबाव बनाना चाहिये कि चुनाव मतपत्रों से करवाने पर सहमति बनायें। इससे चुनाव की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ चुनाव को धन से मुक्त करने के लिये प्रचार के वर्तमान माध्यम को खत्म करके ग्राम सभाओं के माध्यम से मतदाताओं तक जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकारों को अंतिम छः माह में कोई भी राजनीतिक और आर्थिक फैसले लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये। इस काल में सरकार को अपनी कारगुजारीयों पर एक श्वेत पत्र जारी करके उसे ग्राम सभाओं के माध्यम से बहस में लाना चाहिये। ग्राम सभाओं का आयोजन राजनीतिक दलों की जगह प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिये।

जहां सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र पर बहस हो। उसी तर्ज पर अगले चुनाव के लिये हर दल से उसका एजेण्डा लेकर उस पर इन्हीं ग्राम सभाओं में चर्चाएं करवायी जानी चाहिये। हर दल और चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वह देश–प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर एजेंडे में वक्तव्य जारी करें। उसमें यह बताये कि वह अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए देश–प्रदेश पर न तो कर्ज का भार और न ही नये करों का बोझ डालेगा। मतदाता को चयन तो राजनीतिक दल या व्यक्ति की विचारधारा का करना है। विचारधारा को हर मतदाता तक पहुंचाने का इससे सरल और सहज साधन नहीं हो सकता। इस सुझाव पर बेबाक गंभीरता से विचार करने और इसे ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक बढ़ाने–पहुंचाने का आग्रह रहेगा। यह एक प्रयास है ताकि आने वाली पीढ़ियां यह आरोप न लगायें कि हमने सोचने का जोखिम नही उठाया था।

बिना समुचित शिक्षा के इस्लाम की सच्चाई तक पहुंचना कठिन

गौतम चौधरी

आज के समय में इस्लाम को अक्सर विवादों के केंद्र में ला दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, जो अक्सर हमें दिखाया जाता है? इस्लाम का मूल स्वभाव और स्वरूप, जो हमें बताया और समझाया जाता है, उससे बहुत भिन्न है। यह उसके मूल सिद्धांतों की वजह से नहीं, बल्कि कुछ व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा धार्मिक ग्रंथों, विशेष रूप से हदीसों, के गलत इस्तेमाल की वजह से होता है। यह जानबूझकर या अज्ञानतावश किया गया दुरुपयोग हिंसा, असहिष्णुता और दमन को बढ़ावा देता है, जिससे कट्टरता, धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या और इस्लामी समाज के भीतर ही आंतरिक संघर्ष जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

हदीसें–जो पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) के कथन और कार्य का लेखा–जोखा है, कुरान के बाद इस्लामी कानून और मार्गदर्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कुरान की व्याख्या करती हैं और पैगंबर के नैतिक चरित्र, नेतृत्व शैली और सभी वर्गो के लोगों से व्यवहार को उजागर करती हैं लेकिन जहां कुरान को दिव्य रूप से संरक्षित माना जाता है, वहीं हदीसों का संग्रह, प्रमाणीकरण और वर्गीकरण कार्य पैगंबर के निधन के बाद कई सदियों में विद्वानों द्वारा किया गया। यानी हदीस मानव द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें समय समय पर, समयानुकूल कुछ जोड़े गए हैं।

इमाम बुखारी, जैसे विद्वान इस्लामिक चिंतकों ने हदीसों की सत्यता परखने के लिए कठोर मानदंड बनाए, जिनमें हर कथावाचक की विश्वसनीयता और कथनों की सुसंगतता की जांच शामिल थी। इसके बावजूद कुछ कमजोर या अप्रमाणिक हदीसें आज भी प्रचलन में हैं और इन्हें कट्टरपंथी या इस्लाम–विरोधी तत्व इस्लाम को हिंसक, महिला विरोधी या तानाशाही के पक्षधर के रूप में पेश करने के लिए उपयोग करते हैं।

कट्टरपंथी समूह अक्सर हदीसों को संदर्भ से काटकर अपने हिंसक विचारों को सही ठहराते हैं। युद्ध से संबंधित कुछ हदीसें, जिनमें पैगंबर का शत्रुओं के प्रति व्यवहार बताया गया है, को बिना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इस्लामी युद्ध के नियमों (जैसे निर्दोषों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों को नुकसान न पहुँचाना) के पेश किया जाता है। यह चयनात्मक व्याख्या न केवल कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है बल्कि इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार को भी हवा देती है।

महिलाओं के संदर्भ में भी कई झूठी या कमजोर हदीसों का उपयोग कर उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से वंचित किया गया है। इस संदर्भ में बरेलवी संप्रदाय के विद्वान इस्लामिक चिंतक, मौलाना मुफ्ती तुफैल कादिरी कहते हैं, उदाहरण के लिए, एक प्रचलित हदीस जिसे यह कहने के लिए प्रयोग किया जाता है कि महिलाएं बौद्धिक रूप से कमजोर हैं – वह न केवल संदर्भ से बाहर है बल्कि पैगंबर के जीवन और महिलाओं के प्रति व्यवहार के भी विपरीत है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया, उन्हें शिक्षित होने के लिए प्रोत्साहित किया और सार्वजनिक भूमिका सौंपी, जैसे आयशा (र.अ.), जो एक महान विदुषी थीं।

कादिरी साहब कहते हैं, 'कुछ शासकों या प्रभुत्वशाली समूहों ने भी हदीसों का दुरुपयोग कर तानाशाही को वैध ठहराया, विरोध को दबाया और सुधार को रोका। मसलन भले ही शासक अत्याचारी हो, उसका पालन करो जैसी हदीसों को बिना उचित ऐतिहासिक और विद्वतापूर्ण व्याख्या के प्रस्तुत किया गया। जबकि इस्लामी शासन व्यवस्था का मूल न्याय, परामर्श (शूरा) और उत्तरदायित्व में निहित है।

हदीसों का गलत इस्तेमाल इस्लाम की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाता है। गैर–मुस्लिम, जो इस्लामी ग्रंथों से परिचित नहीं हैं, इन भ्रामक व्याख्याओं को ही इस्लाम का वास्तविक स्वरूप मान लेते हैं। वहीं सीमित धार्मिक ज्ञान वाले मुसलमान भ्रमित हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं या फिर कट्टरपंथ की ओर झुक जाते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के भीतर एकता को भी इससे ठेस पहुंचती है, क्योंकि विभिन्न सम्प्रदाय अलग–अलग हदीस संग्रहों या व्याख्याओं पर भरोसा करते हैं, जिससे मतभेद और विभाजन पैदा होता है, जिसे अपने हितों के लिए राजनीतिक ताकतें और बढ़ावा देती हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षा अनिवार्य ही नहीं, धार्मिक कर्तव्य भी है। स्वयं पैगंबर मुहम्मद (स.अ.) ने कहा है, 'ज्ञान प्राप्त करना हर मुसलमान पर अनिवार्य है।' मुसलमानों को यह समझने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन–सी हदीस प्रामाणिक है और कौन–सी नहीं। इसके लिए हदीस विज्ञान (इल्मुल हदीस), ऐतिहासिक संदर्भ और ऐसे योग्य विद्वानों से सीखना आवश्यक है जो परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के ज्ञान में दक्ष हों। कुरान इस्लाम का प्राथमिक स्रोत है और इसके नैतिक सिद्धांत जैसे न्याय, दया, बुद्धिमत्ता और करुणा ही हदीसों की सही समझ की कुंजी हैं।

विशेष रूप से युवा मुसलमान दोनों–कट्टरपंथ और इस्लाम–विरोधी भावनाओं–के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए स्कूलों, मस्जिदों और परिवारों को मिलकर प्रामाणिक इस्लामिक मूल्य, आलोचनात्मक सोच, ऐतिहासिक जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारी की शिक्षा देनी चाहिए। गैर–मुस्लिमों को भी इस्लामी शिक्षाओं की सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। अंतर–धार्मिक संवाद, अकादमिक अध्ययन और मीडिया साक्षरता जैसे शैक्षिक प्रयास इन गलतफहमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

शिक्षा भ्रम और स्पष्टता के बीच एक सेतु है। केवल सीखने, प्रश्न करने और सच्चाई की खोज के माध्यम से ही मुसलमान और गैर–मुसलमान–दोनों– इस्लाम की असली तस्वीर को समझ सकते हैं। जैसा कि पैगंबर ने कहा, 'जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है।' पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन (संपूर्ण संसार के लिए रहमत) थे, न कि हिंसा या अत्याचार के प्रतीक। जब हदीसें प्रामाणिक और सही तरीके से समझी जाती हैं, तो वे एक ऐसे जीवन की झलक देती हैं जो विनम्रता, करुणा, न्याय और संतुलन से भरा होता है। इन पवित्र शब्दों का दुरुपयोग न केवल धर्म का विकृत रूप पेश करता है बल्कि पूरी मानवता को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इस्लाम की समझ विकसित करने के लिए संदर्भो की सुसंगत व्याख्या जरूरी है।

डीबीटी प्रणाली से 34 लाख लाभार्थियों के खातों में 2370.65 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित

शांत हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश, शक्तिशाली डिजिटल परिवर्तन से शासन व्यवस्था को नया रूप दे रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में राज्य ने सेवाओं को कुशलता, पारदर्शिता और सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। पिछले अढ़ाई वर्षों में डिजिटल तकनीक से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली को बेहतर बनाया है, बल्कि नागरिकों को ऐसे लाभ भी पहुंचाए हैं, जिससे शासन अधिक सुलभ और उत्तरदायी बना है।

हिमाचल प्रदेश में नागरिक शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प (एमएमएसएस) हेल्पलाइन 1100 एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य कर रही है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1,49,490 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से अधिकतर शिकायतों का समाधान किया जा चुका है जबकि प्राप्त शिकायतों के समाधान में संबंधित नागरिकों की संतुष्टि दर 70 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गई है। यह नागरिकों को समय पर और प्रभावी सेवा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

एमएमएसएस हेल्पलाइन विभिन्न विभागीय हेल्पलाइनों के संचालन के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर के रूप में भी कार्य कर रही है। इसी सेवा के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) हेल्पलाइन 1967, आपदा हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है, जिससे संबंधित शिकायतों के समाधान में भी तेजी आई है। इसके अतिरिक्त एमएमएसएस हेल्पलाइन प्रणाली में व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा भी शुरू की है, जिससे अब नागरिक और अधिकारी दोनों ही आसानी से हेल्पलाइन से जुड़ सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की यह पहल भी जन सेवा को और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है।

प्रदेश सरकार की ई-ऑफिस पहल कागज रहित प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शासन में दक्षता और स्थिरता के साथ क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। ई-ऑफिस के माध्यम से वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश सचिवालय की 20 नई शाखाओं, 5 नए निदेशालयों, प्रदेश के सभी 12 उपायुक्त एवं 13 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों सहित 71 एसडीएम, 88 बीडीओ कार्यालय तथा 127 नए फील्ड कार्यालयों को जोड़ते हुए कुल 325 फील्ड कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है।

इसके अलावा, हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। वर्ष 2024-25 में 100 नई सेवाओं को जोड़ने के साथ, यह पोर्टल अब 315 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है, जिससे नागरिकों को प्रमाण पत्रों से लेकर कल्याणकारी योजनाओं तक की सेवाएं प्राप्त करना संभव हुआ है। ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से वर्ष के दौरान कुल 18,94,418 लेन-देन हुए हैं, जो नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में वृद्धि का संकेत है। इसके अलावा, पोर्टल में डिजी लॉकर और हिम एक्सेस सिंगल साइन-ऑन प्रणाली के साथ एकीकरण ने इस प्रक्रिया को और अधिक आसान और सुरक्षित बना दिया है। यह कदम नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर 25 जनवरी, 2025 को हिम परिवार परियोजना का औपचारिक शुभारंभ किया और हिम परिवार तथा हिम एक्सेस कार्ड नागरिकों को वितरित किए गए। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश वासियों को एकीकृत डिजिटल पहचान प्रदान कर विभिन्न सरकारी सेवाओं की सुगमता से उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अब तक प्रदेश भर में 19 लाख 28 हजार 270 परिवारों एवं 76 लाख 31 हजार 682 सदस्यों को हिम परिवार आईडी आवंटित की जा चुकी हैं।

हिम परिवार के अंतर्गत विकसित संपूर्ण सर्वे प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर प्रमाणित आंकड़े एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें शहरी विकास विभाग द्वारा 2 लाख 10 हजार 663 शहरी परिवारों का सर्वेक्षण कर 6 लाख 60 हजार 46 सदस्यों का डेटा संग्रहण किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के 20 लाख 49 हजार 924 घरेलू मीटर कनेक्शनों का सर्वेक्षण कर परिवार रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। इसी तरह भू-अभिलेख विभाग के 13 लाख, 30 हजार 728 खाता नंबरों को आधार नंबरों से जोड़ा गया तथा भवन सन्निर्माण एवं कामगार कल्याण बोर्ड के 35 हजार 280 निर्माण श्रमिकों का भी सर्वेक्षण किया गया।

इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को 69 योजनाओं में सफलतापूर्वक लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से कुल 2370.65 करोड़ रुपये की राशि सीधे 34 लाख लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है। प्रदेश सरकार की यह पहल भी विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक समयबद्ध और बिना किसी बिचौलिये के सहायता पहुंचाने में एक मील पत्थर साबित हो रही है।

हिमाचल प्रदेश की डिजिटल प्रगति को अहम बनाने वाली बात सिर्फ तकनीकी नहीं है, बल्कि इसके पीछे का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर, तेज और अधिक न्यायपूर्ण तरीके से सेवा देना है। सरकारी कार्यालयों में कागजी कारवाई को कम करने से लेकर दूर दराज गांव में वृद्ध पेंशनधारी को समय पर सहायता प्राप्त हो यह पहल भी सरकार को लोगों के करीब ला रही है। राज्य समावेशी डिजिटल शासन की दिशा में जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, यह देश के बाकी हिस्सों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन रहा है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार के इन प्रभावी कदमों के परिणामस्वरूप प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सामाजिक- आर्थिक विकास को भी गति मिली है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को घर-द्वार समयबद्ध सुनिश्चित हो रहा है।

सुंदरनगर उपमंडल की 139 बेटियों को मिले मुख्यमंत्री शगुन योजना से 43 लाख रुपए के लाभ

* योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़की को विवाह के लिए मिल रही 31 हजार रुपए सहायता राशि

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार बीपीएल, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री शगुन योजना। यह योजना गरीब परिवार की बेटियों के लिए मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 31 हजार रुपए का शगुन दिया जाता है। बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं को विवाह के लिए अनुदान राशि देने का प्रावधान है।

बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर पूनम चौहान ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा मंडी जिला के सुंदरनगर की 139 बेटियों की शादी के लिए इस योजना के तहत 43 लाख 09 हजार रुपए की सहायता राशि जारी की जा चुकी है। वित्त वर्ष 2023-24 में 62 बेटियों को 19 लाख 22 हजार, 2024-25 में 68 बेटियों को 21 लाख 08 हजार और 2025-26 में अभी तक 9 बेटियों को 2 लाख 79 हजार रुपए की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 31-31 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई है।

यह है पात्रता

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं बीपीएल परिवारों की उन बेटियों के विवाह में वित्तीय सहयोग उपलब्ध करवाना है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो और जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों। यह सहायता उन माता-पिता या अभिभावकों को भी प्रदान की जाती है जो विवाह की तैयारी के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, या स्वयं लड़की को (यदि उसके माता-पिता उपलब्ध नहीं हैं)। विशेष बात यह है कि यदि लड़की का विवाह ऐसे वर से हो रहा हो जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह इस अनुदान के लिए पात्र रहती हैं।

शगुन योजना का लक्ष्य न केवल परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है, बल्कि बेटियों को शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक प्रतिष्ठा के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। इसी उद्देश्य से पात्र परिवारों को विवाह के लिए अधिकतम 31 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण ढंग से अपनी बेटियों का विवाह संपन्न कर सकें।

अब ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं आवेदन

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की नवोन्मेषी और दूरदर्शी सोच के चलते इस वर्ष से मुख्यमंत्री शगुन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) पर बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) के पास तथा ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही हिमाचल प्रदेश सरकार के e-district portal (https://edistrict. hp.gov.in) पर आवेदन कर सकते हैं। तमाम औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात सरकार की तरफ से शगुन योजना में सहायता राशि प्रदान की जाती है। नियमों के तहत पात्र लाभार्थी शादी के तय दिन से 2 माह पूर्व अथवा विवाह होने के पश्चात 6 माह के भीतर योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। शादी के छह माह बीत जाने के बाद इसका लाभ लेने का प्रावधान नहीं है।

इस योजना के लिए लड़की के माता-पिता, अभिभावक या लड़की स्वयं भी आवेदन कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए लोग नजदीकी सीडीपीओ कार्यालय में भी सम्पर्क कर सकते हैं।

यह दस्तावेज हैं जरूरी

पात्र आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तावित वर व वधू की आयु का प्रमाण पत्र, लड़के का स्थाई प्रमाण पत्र तथा लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र, लड़की के माता-पिता का बीपीएल प्रमाण पत्र, विवाह की निर्धारित तिथि का प्रमाण पत्र, यदि विवाह हो चुका है तो विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, यदि माता-पिता की मृत्यु हो गई है तो निःसहाय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाते की फोटो कॉपी संलग्न करनी होगी।

बेटियों का सशक्तिकरण

हिमाचल प्रदेश शगुन योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेटियों के सशक्तिकरण, उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल शादी के खर्च को कम करने में सहायक है, बल्कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

योजना के तहत विवाह अनुदान के रूप में जिला के 24 लाभार्थियों को दो-दो लाख रुपए जारी

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना समाज में अंतिम व्यक्ति के उत्थान की दिशा में प्रदेश सरकार की संवेदनशील सोच को मूर्तरूप प्रदान कर कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत बेसहारा एवं अनाथ बच्चों व व्यस्कों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। शून्य से 27 वर्ष आयु के सभी पात्र लाभार्थियों के पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा से लेकर उनकी घर-गृहस्थी तक संवारने का प्रावधान इस योजना में है।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत जिला में 24 पात्र लाभार्थियों

पूनम शर्मा

को विवाह अनुदान सहायता का लाभ प्रदान किया गया है। राज्य सरकार का यह प्रयास अनाथ और बेसहारा युवक-युवतियों के विवाह के इस महत्वपूर्ण अवसर को पूरी गरिमा और खुशी के साथ मनाने में उन्हें सक्षम बनाने का है। योजना के तहत विवाह अनुदान के रूप में दो लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। इसमें से 70 प्रतिशत राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि पांच साल के लिए सावधि जमा के रूप में प्रदान की जाती है।

पधर उपमंडल की ग्वाली पंचायत के पुंदल गांव निवासी नवीन कुमार इस योजना के लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत उन्हें अन्य लाभों के साथ ही शादी के लिए अनुदान सहायता राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि माता-पिता के देहांत के बाद वे जीवन में एक सूनापन महसूस कर रहे थे। ऐसे में सुख-आश्रय योजना के तहत उन्हें राज्य सरकार का माता-पिता के रूप में संबल मिला। विवाह जैसे विशेष अवसर पर भी प्रदेश सरकार का आशीर्वाद मिला। इसके लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करते हैं जिनकी उदार एवं करूणामयी सोच के कारण ही बेसहारा व अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में एक सम्मानजनक जीवन-यापन कर पा रहे हैं।

करसोग उपमंडल के भनेरा गांव की पूनम शर्मा भी इस योजना की लाभार्थी रही हैं। उनके चेहरे की मुस्कान और आत्मविश्वास इस योजना की सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। पूनम शर्मा को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। यह योजना उन बेटियों और युवाओं के लिए आशा की किरण बन चुकी है, जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके लिए यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सहारा भी है।

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना ने यह भी संदेश दिया है कि जब नीयत नेक हो और सोच संवेदनशील, तो सरकार के कल्याणकारी फैसले लाखों ज़िंदगियों को नई राह दे सकते हैं।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मंडी जिला में प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को विवाह अनुदान के साथ ही उन्हें योजना के अन्य लाभ भी समयबद्ध सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

शैक्षणिक सत्र के मध्य शिक्षकों की सेवानिवृत्ति न करने पर किया जा रहा विचार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित एक समारोह के दौरान नव चयनित 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन्हें राज्य में विभिन्न स्कूलों में नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर, उन्होंने जापान के शैक्षिक

भ्रमण पर जा रहे सरकारी स्कूलों के पांच विद्यार्थियों के एक समूह को भी रवाना किया और उन्हें शुभकामनाएं दीं। ये विद्यार्थी जापान के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री ने विद्यार्थी-केंद्रित समाचार मंच एडस्क एक्सप्रेस, बेसलाइन स्कूल रैंकिंग मान्यता रिपोर्ट, जियो-टैग्ड और जियो-फेंस्ड स्मार्ट उपस्थिति (उपस्थिति निगरानी प्रणाली) और विद्या समीक्षा केंद्र सहित कई शैक्षिक पहलों का शुभारंभ किया।

नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछले अढाई वर्षों में हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में की गई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभाली थी तब हिमाचल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर था। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के अनुसार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के मामले में हिमाचल प्रदेश कक्षा 3 में दूसरे, कक्षा 6 में पांचवें और कक्षा 9 में चौथे स्थान पर है।

शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था को बेहतर बनाने में शिक्षकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समुदाय के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियों पर भी जीत हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की पढ़ाई को बाधित होने से बचाने के लिए शैक्षणिक सत्र के बीच में शिक्षकों को सेवानिवृत्त न करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पहले ही मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कला संकायों में 5,100 टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में स्कूलों का युक्तिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल भी स्थापित कर रही है, जिनमें विद्यार्थी विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही भर्तियां शुरू की जाएंगी।

भर्ती प्रक्रिया में सुधारों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिसके परिणामस्वरूप, कई पोस्ट कोड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और आज 312 ड्राइंग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न मंचों पर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ रही है। हिमाचल के जल संसाधनों के अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में वाइल्ड फ्लावर हॉल और जेएसडब्ल्यू से संबंधित मामलों में सरकार ने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के सर्वोच्च कानूनी विशेषज्ञों की मदद ली और भविष्य में भी प्रदेश के अधिकारों को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने यह निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन देने के लिए लिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नई पेंशन योजना को दोबारा लाने का दबाव बनाया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी।

विपक्ष पर जॉब ट्रेनी पॉलिसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दो साल की सेवा कार्यकाल के बाद प्रशिक्षुओं को नियमित किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि राज्य अब शत-प्रतिशत साक्षरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों और प्रदेशवासियों की दृढ़ इच्छाशक्ति से हम इस लक्ष्य को शीघ्र हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मेहनत से हिमाचल की शिक्षा रैंकिंग में सुधार हुआ है। पहले सरकारी स्कूलों के पांचवीं कक्षा के बच्चे पहली कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब हाल ही के सर्वेक्षणों के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए स्कूलों में स्थानीय बोलियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

इस अवसर पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसी के फलस्वरूप राज्य ने गुणात्मक शिक्षा में देशभर में पांचवां स्थान हासिल किया है।

निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत सिंह, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, उपायुक्त अनुपम कश्यप और अन्य गणमान्य भी इस अवसर पर अपस्थित थे।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास प्रदेश का ध्येय: तकनीकी शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नयन की

दिशा में अभिनव कदम उठाये गए हैं। नवाचार को बढ़ावा देकर, रोजगार के नए अवसर पैदा कर आत्मनिर्भर हिमाचल का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रोजगार और स्वरोजगार की दृष्टि से युवाओं का कौशल विकास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर उसे प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में प्रदेश के युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का उद्देश्य युवाओं की क्षमता को बढ़ाना और रोजगार योग्यता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि निगम के सर्टिफाईड पाठयक्रमों के लिए विभिन्न नमोन्वेषी उपाय किए जा रहे है। निगम द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, अप्रैल और इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि पाठयक्रमों में 4100 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कृषि, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 2024-25 के दौरान 650 से अधिक युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।

बैठक के दौरान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुति भी दी गई।

इस अवसर पर सचिव तकनीकी शिक्षा संदीप कदम और निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिमाचल प्रदेश के लगभग 1,900 MSMEs को संरचित हरित परिवर्तन से जोड़ा जाएगा

शिमला/शैल। औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के लगभग 1,900 MSMEs को संरचित हरित परिवर्तन से जोड़ा जाएगा, और भविष्य में इसे 2,500 से अधिक उद्यमों तक बढ़ाने की योजना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की 'ग्रीनिंग ऑफ MSMEs' योजना के तहत पहले चरण में हिमाचल उद्योग विभाग की ओर से जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 7 अगस्त 2025 को सिरमौर जिले के पौंटा साहेब और कालाअंब और में कार्यशालाएं आयोजित की गई।

'ग्रीनिंग ऑफ MSMEs' पहल के तहत भारत सरकार के RAMP (राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस) कार्यक्रम का अहम हिस्सा है, जिसे विश्व बैंक का समर्थन प्राप्त है।

उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश और फ्रॉस्ट एंड सुलिवन और टिंज कंसल्टेंसी के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को संसाधन-कुशल स्वच्छ उत्पादन (RECP), शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य, पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) ढांचे, परिपत्र अर्थव्यवस्था और कार्बन उत्सर्जन कम करने की योजनाओं जैसे आधुनिक विषयों से अवगत कराया गया। साथ ही डिजिटल निगरानी प्रणाली, हरित तकनीक प्रदाताओं तक पहुंच और वित्तीय सहायता के विकल्पों की जानकारी भी दी गई, ताकि MSMEs अपने व्यवसाय को और अधिक टिकाऊ बना सकें। कार्यशाला में आये प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर सिंगल विंडो क्लियरेंस एजेंसी से इकोनॉमिक इन्वेस्टीगेटर बाल मुकुंद और रैंप कंसलटेंट मातवर ठाकुर भी उपस्थित रहे।

कार्यशाला में हिमाचल चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन सतीश गोयल ने MSMEs को हरित बनाने से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं पहलों की सराहना की, साथ ही MSME विभाग द्वारा प्रदान की जा रही अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि इन योजनाओं का लाभ उन MSMEs तक पहुंचना चाहिए जिन्हें इनकी वास्तव में आवश्यकता है, और इसके लिए प्रक्रिया को सरल एवं सुगम बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही DFO, MSME से सहायक निदेशक ग्रेड-1, IEDS ए.के. गौतम ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की अन्य योजनाओं पर एक प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिन्हें MSMEs द्वारा अत्यंत सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यदि कोई MSME योजना के बारे कोई भी जानकारी लेना चाहता है, तो उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। प्रस्तुतिकरण में पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने, बाज़ार तक पहुंच आसान कराने तथा नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान क्रेडिट सुविधा, सरकारी खरीद में भागीदारी, और क्षमता निर्माण जैसी महत्त्वपूर्ण लाभों को भी रेखांकित किया गया।

सरकार ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद् की स्थापना को मंजूरी दी

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। परिषद् परियोजना अनुमोदन में तेज़ी लाने और व्यापक निवेशक सुविधा प्रदान करने के लिए एक एकल-खिड़की तंत्र के रूप में कार्य करेगी। परिषद 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक की निवेश पर्यटन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद् को पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

निवेशक हितैषी राज्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए परिषद् न्यूनतम विनियमन, अधिकतम सुविधा और समयबद्ध निर्णय लेने के सिद्धांतों द्वारा संचालित होगी। एकरूपता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व, टीसीपी, अग्निशमन सेवाएं और जल शक्ति जैसे विभागों में दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिए एकीकृत प्रारूप लागू किए जाएंगे।

एक सक्रिय प्रणाली का निर्माण करना इस पहल की प्रमुख विशेषता है, जिसमें परियोजना की तैयारी का दायित्व सरकार पर होगा। इससे राज्य में संभावित निवेशकों के लिए प्रवेश संबंधी बाधाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके अलावा, वैधानिक अनुमोदन (जैसे, धारा 118 या पर्यावरणीय मंज़ूरी) से जुड़े मामलों को छोड़कर, परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर मंज़ूरी न मिलने पर स्वीकृत माना जाएगा।

प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजन, आय सृजन और संतुलित क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकारी स्तर पर परियोजनाओं की मंज़ूरी में विलम्ब और निवेशकों के लिए सुविधाओं की कमी के कारण इस क्षेत्र के विकास की बाधा को दूर करने में यह मील पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में परिषद् सुव्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से पर्यटन में निवेश को आकर्षित करेगी।

पर्यटन प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन के लिए राज्य-स्तरीय शीर्ष निकाय समयबद्ध तरीके से मासिक बैठकें आयोजित करेगा। अनुमोदनों के अलावा, परिषद पर्यटन क्षेत्र में समग्र निवेश माहौल को बेहतर बनाने और हिमाचल प्रदेश को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रक्रियात्मक और नीतिगत सुधारों की भी सिफारिश करेगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शिता, दक्षता और व्यापार में सुगमता की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रही है जिससे हिमाचल प्रदेश को एक विश्व स्तरीय पर्यटन हब के रूप में स्थापित करने में गति मिलेगी।

परिवहन सेवाओं का हो रहा आधुनिकीकरण, प्रदेश सरकार जनता को दे रही विश्वसनीय परिवहन सुविधा: मुकेश अग्निहोत्री

एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 1000 नई बसें

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार लोगों को गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और आधुनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए 1000 नई बसों को चरणबद्ध रूप से निगम में शामिल किया जाएगा।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि 24 नई वोल्वो बसें एचआरटीसी बेड़े में शामिल हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 327 इलेक्ट्रिक बसें (297 टाईप-1 व 30 टाईप-3), 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है। 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आपूर्ति आदेश कर दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 37 से 42 सीटर क्षमता की छोटी और सुविधाजनक बसों की खरीद को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि दूरदराज़ और दुर्गम क्षेत्रों में भी परिवहन सेवाएं सुगमता से प्रदान की जा सकें। इसके अलावा 500 और ई-बसें खरीदी जाएंगीं। वर्तमान में निगम लगभग 3200 बसों का संचालन करती है। प्रदेश की वर्तमान सरकार द्वारा पहली बार 1000 बसों का फ्लीट बदला जा रहा है इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों को जनता की भाग्य रेखाएं भी कहा जाता है। एचआरटीसी इन पर जीवन रेखा की तरह कार्य कर रही है। प्रतिदिन लाखों यात्री एचआरटीसी की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। निगम राज्य के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बनाकर जनता को सुविधा प्रदान कर रही है। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी घाटे वाले रूटों पर भी जनता की सुविधा के दृष्टिगत परिवहन सेवा प्रदान कर सामाजिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, सरकार निगम को हरसंभव सहायता व सहयोग प्रदान कर रही है। निगम को एक स्वतंत्र, सशक्त और आत्मनिर्भर उपक्रम के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर बल देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लगभग 110 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में प्रदेश सरकार की सीधी भागीदारी है, जबकि डीजल बसों की खरीद एचआरटीसी अपने संसाधनों से कर रही है।

उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 100 मिनी बसें खरीदी जा रही हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी को एक सशक्त और आत्मनिर्भर उपक्रम के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर दृढ़ व दक्ष प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की परिवहन सेवाएं देशभर में एक मिसाल बन सकें।

आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबार पर सख्त कारवाई 247 मामले दर्ज

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पूरे राज्य में गठित विभागीय टीमों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर भी विशेष टीमों का गठन भी किया गया है।

उन्होंने बताया कि जिला शिमला, बी.बी.एन. बद्दी और कुल्लू जिला के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी गई है। जुलाई माह में दक्षिण क्षेत्र शिमला में 542.930 बल्क लीटर अवैध शराब, मध्य क्षेत्र मण्डी में 745.350 बल्क लीटर अवैध शराब व 37 लीटर लाहन व उत्तरी क्षेत्र पालमपुर में 221.850 बल्क लीटर शराब व 9 लीटर लाहन बरामद की गई है।

इस वित्त वर्ष में राज्य में अवैध शराब से संबंधित 247 मामले दर्ज किए, जिसमें 10523.668 बल्क लीटर अवैध शराब बरामद की गई है तथा 21630 लीटर लाहन भी बरामद करके नष्ट की गई है ।

डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग द्वारा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है तथा नियमनुसार सख्त से सख्त कारवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी शराब के अवैध कारोबार से सरकार के राजस्व को हानि पहुंचाने वालों पर सख्त कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

आबकारी आयुक्त ने नागरिकों से आहवान किया है कि वह अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी कोई भी सूचना विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे दूरभाष नम्बर 0177-2620426 तथा व्हाट्सएप नम्बर 94183-31426 व controlroomhq@gmail.com व जोनल समाहर्ता 0177-2620426 (दक्षिण क्षेत्र), 01894-230186 (उत्तरी क्षेत्र) व 01905-223499 (मध्य क्षेत्र) पर साझा करें, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।

शिक्षा विभाग व शिक्षा बोर्ड की समीक्षा बैठक में स्कूलों में बागवानी को एक व्यावसायिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

और विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा भी की गई।

शिक्षा मंत्री ने राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल और अटल आदर्श विद्यालय जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों और महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में स्कूलों में बागवानी को एक व्यावसायिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को इस विषय का पाठयक्रम तैयार कर दो सप्ताह के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कॉलेजों में लोक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पुन: शुरू करने पर भी बल दिया ताकि छात्रों को विषयों के चयन में अधिक विकल्प मिल सकें।

भर्ती से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एसएमसी शिक्षकों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और इन्हें मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा लंबित पदोन्नति के मामलों से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, और अब यह मामला आयोग को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

रोहित ठाकुर ने दूर-दराज और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों की मेहनत और समर्पण भाव की सराहना की। उन्होंने महाविद्यालयों की नैक मूल्यांकन प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना के भी निर्देश दिए ताकि छात्रों को बेहतर अध्ययन संसाधन उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से शिक्षण संस्थानों को हुए व्यापक नुकसान पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लगभग 510 शिक्षण संस्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें करीब 30 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को आपदा उपरांत आवश्यकताओं के मूल्यांकन के तहत प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के निर्देश दिए और कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि काम समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा हो।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के आसपास 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत वृक्षारोपण करवाने को कहा। उन्होंने 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल मेलों और विज्ञान प्रदर्शनियों के आयोजन के निर्देश दिए, जिससे उन्हें स्कूल के प्रारंभिक दिनों में ही कुछ नया अनुभव मिल सके।

शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। इस दौरान उन्होंने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को आपदा से हुई क्षति की जानकारी दी और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना के तहत लंबित 180 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया और शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए अतिरिक्त सहायता भी मांगी।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य को एएसईआर, परख और एनएएस जैसे राष्ट्रीय शैक्षणिक सर्वेक्षणों में पांचवां स्थान प्राप्त हुआ है, जो राज्य की शिक्षा सुधारों की सफलता को दर्शाता है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव साझा किए और मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा की गई सुधारात्मक पहल की जानकारी दी।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ.अमरजीत शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सदस्य और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

अभिनव पहलों से शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल उल्लेखनीय प्रगति की ओर अग्रसर:उप-मुख्य सचेतक

शिमला/शैल। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र में की जा रही विभिन्न पहलों के दृष्टिगत उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अमेरिका के पेन स्टेट ग्लोबल अफेयर्स की

सलाहकार डॉ. वासु सिंह से भेंट की।

इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने बताया कि वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी कार्यक्रम पहल हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र को और अधिक समावेशी और सशक्त बना रही है। वर्ष 2022 में प्रदेश के दो महाविद्यालयों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई इस पहल ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। परियोजना के तहत अंतर सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा प्रदान किया गया है।

उप-मुख्य सचेतक ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में अनेक सुधारात्मक कदम उठा रही है। शिक्षकों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने सिंगापुर के प्रतिष्ठित प्रिंसिपल एकेडमी के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। प्रदेश के शिक्षकों और मेधावी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देशभर में पांचवां स्थान हासिल किया है।

बैठक के दौरान पेन स्टेट लिहाई वैली की कुलपति डॉ. टीना रिचर्डसन के साथ भी गहन विचार विमर्श किया गया और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

इस अवसर पर पेसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की महत्वपूर्ण साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

बैठक के दौरान विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सवा महीने बाद भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हालात जस के तस : जयराम ठाकुर

शिमला/शैल। शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम

ठाकुर ने कहा कि आपदा को आये सवा महीने से ज्यादा का समय बीत गया है लेकिन ज्यादातर जगहों पर हालात जस के तस हैं। न मुख्य सड़कें बहाल हुई हैं और न ही लिंक रोड बहाल हो पाये हैं। जिसके कारण लोगों के कृषि बागवानी और पुष्प उत्पादन से जुड़े उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों ने अपने संसाधनों से सड़कें खोलने के प्रयास किए हैं लेकिन उससे पूरे इलाके की सड़कें आसानी से नहीं खोली जा सकती हैं। सड़कें न खुलने की वजह से लोगों को जानलेवा रास्तों से होकर मजबूरन गुजरना पड़ रहा है। यह सरकार की नाकामी और संवेदनहीनता है कि हमारे द्वारा बार-बार कहने, आग्रह करने के बाद भी सरकार ने सड़के बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान नहीं चलाया जिसकी वजह से त्रासदी का दंश झेल रहे लोगों को सरकार के निकम्मेपन का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा ग्रस्त ज्यादातर इलाकों की आजीविका फूलों की खेती बागवानी और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। इनमें से ज्यादातर उत्पाद बहुत जल्दी खराब होते हैं इसलिए एक निर्धारित समयावधि में उन्हें बाजार पहुंचाना होता है, तभी संभव है जब मुख्य सड़कों के साथ-साथ लिंक रोड भी खुले हों। लेकिन 39 दिन का समय बीत जाने के बाद भी ना मुख्य सड़कें पूर्णतया बहाल हो पायी हैं और न ही लिंक सड़कें। इसकी वजह से पूर्णता तैयार कृषि और बागवानी के उत्पाद बाजार तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों द्वारा अपने उत्पादों को बाजार में पहुंचने की वजह से सड़ने के कारण लोगों को अपना कीमती उत्पाद फेंकना पड़ रहा है। इसकी वजह से आपदा प्रभावित क्षेत्रों की आर्थिकी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। सरकार की नाकामी है कि कुदरत की मार से बच गई फसलें सरकार की अकर्मण्यता से नष्ट हो जा रही हैं। सरकार के इस नकारेपन से आपदा से उबरने में लोगों को प्रयासों को झटका लग रहा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अपनी बदनीयती के कारण ही कलाशिक्षकों की नियुक्ति को ढाई साल तक लटकाये रखा। हमारी सरकार ने ही पोस्ट कोड 980 के तहत 314 कला शिक्षकों के पद सृजित किये। बजट का प्रावधान किया। पोस्ट निकाला और 2022 में ही परीक्षा करवाई। अंतिम रिजल्ट निकालना शेष था लेकिन व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार ने जानबूझकर परीक्षा परिणाम लटकाये रखा और युवाओं को नौकरी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने चौक चौराहों पर, नुक्कड -सड़कों पर चीख चीख कर पांच लाख नौकरियों की गारंटी देकर सत्ता में आई थी। मुख्यमंत्री को जानबूझकर रिजल्ट लटकाने के लिए प्रदेश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उनका यह कृत्य शर्मसार करने वाला है।

खेल विधेयक के प्रति विपक्ष का रवैया उदासीन:अनुराग सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने में आ रही रुकावट पर कहा कि यह खेल विधेयक युवाओं व खिलाड़ियों के हित में है मगर खेल विधेयक के प्रति विपक्ष का रवैया उदासीन है। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रोज़-रोज़ सदन विपक्ष द्वारा हंगामा कर सदन की कारवाई बाधित कर संसद का अमूल्य समय बर्बाद करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा संसद का समय अमूल्य होता है व इसका उपयोग लोकहित में हो यह सत्ता पक्ष व विपक्ष की सामूहिक ज़िम्मेदारी होती है। दुर्भाग्य से विपक्ष संसद के इस मानसून सत्र को जनहित की बजाय अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आये दिन सदन में हंगामा कर सत्र को बाधित करने का दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य कर रहा है। विपक्ष ना सिर्फ़ संसद का समय बर्बाद कर रहा है बल्कि देश के करदाताओं का भी अपमान कर रहा है। ये लोग संविधान की किताब तो पकड़ते हैं, लेकिन संविधान को मानते नहीं हैं। संसद में विपक्ष ना सिर्फ़ चर्चा से बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी से भी भाग रहा है इसलिये संसद में चर्चा की बजाये सड़क पर मार्च निकालकर कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा 'इनकम टैक्स बिल पर 2 दिन का समय लोकसभा, 2 दिन का समय राज्यसभा में दिया गया लेकिन विपक्ष उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा रहा। इसी तरह राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक,

2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 जोकि हमारे युवाओं व खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उसे लेकर भी विपक्ष का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस व विपक्षी पार्टियां हमारे खिलाड़ियों का भला नहीं चाहती हैं। विपक्ष अपनी ज़िम्मेदारी समझे, महत्त्वपूर्ण बिलों चर्चा करे और अगर उसमें कोई संशोधन है तो उसे बताये, लेकिन देशहित में चर्चा से भागने की बजाये चर्चा में हिस्सा ज़रूर ले। संसद न चलने देना और अराजकता फैलाना यह सब विपक्ष की सोची-समझी चाल है, जिससे जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके और देश में अस्थिरता का माहौल बनाया जा सके।

उज्ज्वला योजना की तहत 12000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर: बिंदल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ.राजीव बिंदल ने

कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इस ऐतिहासिक योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 1.36 लाख उपभोक्ता है। रक्षाबंधन से ठीक पहले लिये गये इस फैसले से बड़े पैमाने पर देश और प्रदेश की महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में पीएमयूवाई योजना शुरू की गई थी। 1 जुलाई तक, भारत में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।

बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से आनुपातिक) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस पर 12,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में बदलाव लाना है। अब तक 10. 33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 12,060 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है।